

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रसंख्या-एन0ओ0सी0/एफ0एस0/2021 - (B H-42)

दिनांक:-दिसम्बर 27, 2021

सेवामें,

डा0 सर्वेश कुमार शुक्ला,
मेसर्स, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
ग्राम-सबलापुर एवं ग्राम-चेतरा, परगना फखरपुर,
तहसील, महसी, बहराइच ।

विषय:-खसरा नं0 227 मि0, 229 एवं 230 ग्राम-सबलापुर एण्ड 644, ग्राम-चेतरा, परगना, फखरपुर तहसील महसी जनपद-बहराइच में प्रस्तावित आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भवन के प्रस्तुत भवन मानचित्र पर अग्नि सुरक्षा ब्यवस्था सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

भवन का संरचनात्मक विवरण आपके द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार विवरण निम्नवत है ।

(क) भवन का संरचना:-प्रश्नगत भवन का कुल प्लाट एरिया-12190.00 वर्गमीटर है ।

कालेज ब्लॉक:-

- 1- प्रश्नगत भवन का ग्राउन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया-1526.35 वर्गमीटर ।
- 2- प्रश्नगत भवन का फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया- 1454.18 वर्गमीटर ।
- 3- प्रश्नगत भवन का सेकेन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया- 1454.18 वर्गमीटर ।
- 4- प्रश्नगत भवन का थर्ड फ्लोर कवर्ड एरिया- 1454.18 वर्गमीटर ।

हास्पिटल ब्लॉक:-

- 1- प्रश्नगत भवन का ग्राउन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया-1373.84 वर्गमीटर ।
- 2- प्रश्नगत भवन का फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया- 1300.45 वर्गमीटर ।
- 3- प्रश्नगत भवन का सेकेन्ड फ्लोर कवर्ड एरिया- 1300.45 वर्गमीटर ।
- 4- प्रश्नगत भवन का थर्ड फ्लोर कवर्ड एरिया- 927.77 वर्गमीटर ।

(ख) भवन का अधिभोग श्रेणी:-

प्रेषित मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भवन एन0बी0सी0 के शैक्षिक एवं इन्स्टीट्यूशनल भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत है ।

(ग) ढाँचागत ब्यवस्थायें:-

1-पहुँचमार्ग:-प्रश्नगत भवन बहराइच-लखनऊ मुख्य मार्ग टिकोरा मोड, सीतापुर रोड से अन्दर की तरफ ग्राम-सबलापुर एवं ग्राम-चेतरा जाने वाली लिंक मार्ग पर जनपद-बहराइच में स्थित है, जहाँ अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक पहुँचकर अग्निशमन कार्य सम्पादित कर सकते हैं ।

2-सेटबैक:-प्रश्नगत भवन के चारों तरफ अग्निशमन के वाहनों के आवागमन हेतु 6.0-6.0 मीटर मोर्टेबुल सेटबैक छोड़ा जाना अनिवार्य होगा, जिसे सदैव अवरोध मुक्त रखा जाय ।

3-ऊँचाई:-प्रश्नगत भवन की ऊँचाई 14.97 मीटर है ।

(घ) अग्नि सुरक्षा ब्यवस्था:-प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 व उसमें संदर्भित का सुसंगत मानकों के अनुसार प्रस्तावित की जाती है ।

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्यूशरों का आई0एस0-2190 के अनुसार ए0बी0सी0/सी0ओ0टू0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।

2-प्रश्नगत भवन में मानक के अनुसार होजरील स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।


3-प्रश्नगत भवन में वेटराइजर मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।

4-प्रश्नगत भवन परिसर में मानक के अनुसार यार्ड हाइड्रैन्ट स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।

(2)

- 5-प्रश्नगत भवन के हास्पिटल ब्लाक में भवन के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।
- 6-प्रश्नगत भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम स्थापित किया जाना वांछनीय है
- 7-प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम स्थापित किया जाना वांछनीय है ।
- 8-अग्निशमन कार्य हेतु 150000 लीटर क्षमता का अण्डर ग्राउन्ड टैंक वांछनीय है ।
- 9-अग्निशमन कार्य हेतु 10000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित किया जाना वांछनीय है ।
- 10-पम्प हाउस में एक इलेक्ट्रिक तथा एक डीजल पम्प क्षमता 1620 लीटर प्रति मिनट तथा एक इलेक्ट्रिक जाकी पम्प 180 लीटर प्रतिमिनट क्षमता का स्थापित किया जाना वांछनीय है ।
- 11-स्टेयर केस:-प्रश्नगत भवन में सीढी की चौड़ाई 2.00 मीटर तथा रैम्प की चौड़ाई 2.00 मीटर रखा जाना मानचित्र में दर्शाया गया है जो मानक के अनुरूप है ।
- 12-एग्जिट साइनेज:-भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।
- 13-पी0ए0 सिस्टम:-भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित कराया जाना वांछनीय है ।
- 14-अन्य अभ्युक्ति:-(ए) समय-समय पर लागू नियम व उपनियमों का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होगा ।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन व्यवस्था स्थापित कर अग्निशमन विभाग से पुनः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


(आर0एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा
लिंक अधिकारी बहराइच
(आर0 एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा